

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1596/12-1 , गोपेश्वर, दिनांक 31/10/2015।

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।

विषय:- बगोली कोटी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत करना है कि आप द्वारा ऑनलाईन किये गये प्रस्ताव में निम्न प्रमाण पत्र संलग्न/पुरे नहीं है:-

1. ऑनलाईन प्रपोजल के पृष्ठ संख्या-10 में एफआरए में दिनांक अंकित नहीं है।
2. पृष्ठ संख्या- 73 में राष्ट्रीय पार्क से दूरी 08 किमी0 से अधिक दिखायी गयी है। यदि यह 08 से अधिक परन्तु 10 किमी0 से कम हो तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, यदि यह 10 किमी0 से अधिक है तो वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा दूरी 10 किमी0 से अधिक होने का प्रमाण पत्र बनवाकर संलग्न करें।
3. पृष्ठ संख्या-95 में फॉक्स सीट पर हॉ/नहीं को चिन्हित नहीं किया गया है।
4. प्रस्ताव में कोटी वन पंचायत एवं ग्वालखेत वन पंचायत की भूमि की एन0ओ0सी0 संलग्न नहीं की गयी है। जिसे संलग्न करें।

अतः आप उपरोक्त कमियों का निराकरण कर शीघ्र प्रस्ताव को इस कार्यालय को भेजें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।